

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 32]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 9 अगस्त 2013—श्रावण 18, शक 1935

## विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 जून 2013

क्र. ई.-1-190-2013-5-एक.—श्री एस. के. मिश्रा, भाप्रसे (1991), सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा सचिव, मुख्यमंत्री को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश जल निगम, मर्यादित का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

भोपाल, दिनांक 29 जून 2013

क्र. ई.-5-562-आयएस-लीव-एक-5.—(1) श्री जे. एन. कांसोटिया, आयएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा

विभाग को दिनांक 1 से 6 जुलाई 2013 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री जे. एन. कांसोटिया की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री व्ही. एस. निरंजन, आयएस., आयुक्त, उच्च शिक्षा तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री जे. एन. कांसोटिया को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री जे. एन. कांसोटिया द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री व्ही. एस. निरंजन उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री जे. एन. कांसोटिया को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जे. एन. कांसोटिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 1 जुलाई 2013

क्र. ई.-1-194-2013-5-एक.—डॉ. संजय गोयल, भाप्रसे (2003), संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, जो कि वर्तमान में देहरादून/हरिद्वार में मध्यप्रदेश राज्य की ओर से राहत शिविर का टीम लीडर के रूप में कार्य संचालन कर रहे हैं, को विभागाध्यक्ष, मध्यप्रदेश राहत आयुक्त के अधीनस्थ दिनांक 20 जून 2013 से आगामी आदेश तक के लिए, अपर राहत आयुक्त घोषित किया जाता है.

भोपाल, दिनांक 2 जुलाई 2013

क्र. ई.-1-92-2013-5-एक.—श्री इकबाल सिंह बैस, भाप्रसे (1985), पर्यावरण आयुक्त तथा पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, लोक सेवा प्रबंधन विभाग तथा महानिदेशक, एफको, प्रशासक, राजधानी परियोजना प्रशासन एवं महानिदेशक, स्कूल ऑफ गुड गवर्नेंस की सेवायें भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को संयुक्त सचिव, प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज इंडियन एफेयर्स) नई दिल्ली के पद पर नियुक्ति के लिए सौंपी जाती हैं.

क्र. ई.-1-134-2012-5-एक.—मध्यप्रदेश संवर्ग को आंवटित भारतीय प्रशासनिक सेवा की 2008 बैच की परिवीक्षाधीन अधिकारी, सुश्री सुरभि सिन्हा को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में प्रथम चरण के प्रशिक्षण समाप्ति पर राज्य में प्रशिक्षण के लिए अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सहायक कलेक्टर, भोपाल पदस्थ किया जाता है.

क्र. ई.-1-195-2013-5-एक.—श्री एस. एन. मिश्रा, भाप्रसे (1990), सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक पर्यावरण आयुक्त एवं सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग तथा महानिदेशक, एफको, प्रशासक, राजधानी परियोजना प्रशासन एवं महानिदेशक, स्कूल ऑफ गुड गवर्नेंस का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

(2) श्री हरिरंजन राव, भाप्रसे (1994), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम तथा सचिव, मुख्यमंत्री एवं सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों

के साथ-साथ आगामी आदेश तक सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक सेवा प्रबंधन विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

क्र. ई.-5-890-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अनुराग चौधरी, आयएएस., अनुविभागीय अधिकारी, डबरा, जिला ग्वालियर को दिनांक 1 से 6 जुलाई 2013 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 30 जून 2013 एवं 7 जुलाई 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अनुराग चौधरी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी, डबरा, जिला ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अनुराग चौधरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनुराग चौधरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 3 जुलाई 2013

ई.-5-577-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अशोक शाह, आयएएस., सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग तथा प्रबंध संचालक, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, भोपाल को दिनांक 3 से 10 जुलाई 2013 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री अशोक शाह की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री एम. मोहनराव, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवक कल्याण, विमुक्त घुमक्कड़ तथा अर्द्ध-घुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग, विकअ-सह-संचालक, विमुक्त, घुमक्कड़ तथा अर्द्ध-घुमक्कड़ जाति कल्याण, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक शाह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग तथा प्रबंध संचालक, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री अशोक शाह द्वारा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग तथा प्रबंध संचालक, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एम. मोहनराव उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री अशोक शाह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक शाह, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 5 जुलाई 2013

क्र. ई.-1-138-2013-5-एक.—सुश्री निधि निवेदिता, भाप्रसे (2012) (परिवीक्षाधीन अधिकारी), सहायक कलेक्टर, रीवा को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक सहायक कलेक्टर, झाबुआ पदस्थ किया जाता है।

भोपाल, दिनांक 8 जुलाई 2013

क्र. ई.-1-178-2013-5-एक.—श्री प्रवीण गर्ग, भाप्रसे (1988) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, मध्यप्रदेश भोपाल की सेवायें भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को संयुक्त सचिव, न्याय विभाग, नई दिल्ली के पद पर नियुक्ति के लिए सौंपी जाती हैं।

क्र. ई.-5-802-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री आर. ए. खण्डेलवाल, आयएएस., आयुक्त-सह-संचालक, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास, भोपाल को दिनांक 22 से 27 जुलाई 2013 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 20, 21 जुलाई 2013 एवं 28 जुलाई 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने का अनुमति दी जाती है।

(2) श्री आर. ए. खण्डेलवाल की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री डी. डी. अग्रवाल, भाप्रसे, आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा संचालक, एड्स को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री आर. ए. खण्डेलवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त-सह-संचालक, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री आर. ए. खण्डेलवाल, द्वारा आयुक्त-सह-संचालक, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री डी. डी. अग्रवाल, उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री आर. ए. खण्डेलवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. ए. खण्डेलवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई.-5-907-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री प्रमोद कुमार गुप्ता, आयएएस., कलेक्टर, जिला शाजापुर को समसंख्यक आदेश दिनांक 26 जून, 2013 द्वारा दिनांक 8 से 19 जुलाई 2013 तक बारह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश दिनांक 7 जुलाई 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया है।

(2) श्री प्रमोद कुमार गुप्ता की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री मुकेश शुक्ल, अपर कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, शाजापुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से सौंपा गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए श्री मुकेश शुक्ल के स्थान पर अब श्री राम प्रसाद भारती, अपर कलेक्टर एवं अपर जिला दण्डाधिकारी, शाजापुर को श्री गुप्ता की अवकाश अवधि में कलेक्टर, जिला शाजापुर का प्रभार सौंपा जाता है।

भोपाल, दिनांक 10 जुलाई 2013

क्र. ई.-5-857-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) सुश्री आईरिन सिंथिया जे. पी., आयएएस., तत्का. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, भोपाल को पूर्व में स्वीकृत अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 1 से 31 जुलाई 2013 तक इकतीस दिन का शिशु देखभाल अवकाश (Child Care Leave) स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाशकाल में सुश्री आईरिन सिंथिया जे. पी. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री आईरिन सिंथिया जे. पी. अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

भोपाल, दिनांक 11 जुलाई 2013

क्र. ई.-1-392-2012-5-एक.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री ओमेश मूंदड़ा, भाप्रसे (1992), सचिव, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, मध्यप्रदेश भोपाल को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के फलस्वरूप दिनांक 31 जुलाई 2013 (अपरान्ह) से शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त करता है।

क्र. ई.-5-810-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती पुष्पलता सिंह, आयएएस., सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल को दिनांक 12 मार्च 2013 (एक दिन) का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाशकाल में श्रीमती पुष्पलता सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती पुष्पलता सिंह अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

क्र. ई.-5-894-आयएस-लीव-5-एक.—(1) डॉ. अशोक कुमार भार्गव, आयएस., कलेक्टर, जिला शहडोल को समसंख्यक आदेश दिनांक 28 मई 2013 द्वारा दिनांक 13 से 24 मई 2013 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, के अनुक्रम में दिनांक 25 से 29 मई 2013 तक पाँच दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाशकाल में डॉ. अशोक कुमार भार्गव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. अशोक कुमार भार्गव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 17 जुलाई 2013

क्र. ई.-5-671-आयएस-लीव-एक-5.—(1) श्रीमती दीपाली रस्तोगी, भाप्रसे (1994) पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक मुद्रांक, भोपाल को दिनांक 17 से 22 जून 2013 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती दीपाली रस्तोगी, आयएस., को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक मुद्रांक, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती रस्तोगी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रस्तोगी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

क्र. ई.-5-812-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री जी. पी. कबीरपंथी, आयएस., अपर आयुक्त, सागर संभाग सागर को दिनांक 11 अप्रैल 2013 से दिनांक 9 जून 2013 तक 60 दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाशकाल में श्री जी. पी. कबीरपंथी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जी. पी. कबीरपंथी, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 19 जुलाई 2013

क्र. ई.-1-210-2013-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाए भा. प्र. से. अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन रूप से पदस्थ किया जाता है:—

क्र.	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1	श्रीमती तन्वी सुंदरियाल बहुगुणा (2010) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, छिन्दवाड़ा (कनिष्ठ वेतनमान).
2	श्री गणेश शंकर मिश्रा (2010) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुलताई, जिला बैतूल.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, बैतूल (कनिष्ठ वेतनमान).
3	श्री अभिजीत अग्रवाल (2010) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मैहर, जिला सतना.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, श्योपुर (कनिष्ठ वेतनमान).

Bhopal, the 23rd July 2013

No. E-5-502-IAS-Leave-5-I.—(1) Sanction is hereby accorded to Dr. J. T. Ekka, IAS (1986) Principal Secretary, Government of Madhya Pradesh Jail Department and General Administration Department (Human Right) to avail ex-India earned leave of Seventeen days form 26th August to 11th September 2013 with permission to prefix Gazetted holiday falling on dated 25th August 2013.

(2) Smt. Saleena Singh, IAS (1986). Principal Secretary, Government of Madhya Pradesh Fisheries Department shall hold the additional charge of Jail Department and General Administration Department (Human Right) during the leave period of Dr. J. T. Ekka.

(3) On return from leave Dr. J. T. Ekka is again posted as Principal Secretary, Government of Madhya Pradesh Jail Department and General Administration Department (Human Right). temporarily until further orders.

(4) Smt. Saleena Singh, Principal Secretary, Government of Madhya Pradesh, Fisheries Department shall be relieved from the additional charge of Jail Department and General Administration Department (Human Right) after Dr. J. T. Ekka joins the post on return from leave.

(5) Dr. J. T. Ekka will be entitled to draw leave salary and other allowances on the same rates he was getting before proceeding on leave.

(6) It is certified that had Dr. J. T. Ekka not proceeded on leave, he would have continued on this post.

भोपाल, दिनांक 25 जुलाई 2013

क्र. ई.-1-210-2013-5-एक.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 19 जुलाई 2013 की तालिका के पद-3, जिसके द्वारा श्री अभिजीत अग्रवाल, भाप्रसे (2010), अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मैहर, जिला सतना को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत श्योपुर पदस्थ किया गया है, में आंशिक संशोधन करते हुए अब श्री अभिजीत अग्रवाल, भाप्रसे (2010), अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मैहर जिला सतना को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सतना (कनिष्ठ वेतनमान) पदस्थ किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**आर. परशुराम, मुख्य सचिव.**

भोपाल, दिनांक 27 जून 2013

क्र. एफ ए-5-35-2011-एक (1).—राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदया श्रीमती विमला जैन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है:—

अवकाश अवधि (1)	कुल दिन (2)	अवकाश का प्रकार (3)	अभियुक्ति (4)
दिनांक 29 अप्रैल 2013 से 1 मई 2013 तक.	तीन दिन	पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित कम्यूटेड अवकाश	-

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.**

भोपाल, दिनांक 28 जून 2013

क्र. एफ-3-3-2013-एक-4.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, नगर परिषद्, इछावर, जिला सीहोर के अध्यक्ष पद के उप निर्वाचन हेतु मतदान दिनांक 10 जुलाई 2013 बुधवार को जिले के संबंधित नगरीय क्षेत्र में सामान्य अवकाश घोषित करता है.

(2) उक्त दिनांक को केवल संबंधित क्षेत्र के लिये पराक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिअबल इन्स्ट्रुमेंट्स एक्ट) 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के अन्तर्गत सार्वजनिक अवकाश भी घोषित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**अमर सिंह चन्देल, उपसचिव.**

भोपाल, दिनांक 15 जुलाई 2013

क्र. एफ-3-2-2013-एक-4.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, नगर परिषद्, गढ़ीमलहरा, जिला छतरपुर एवं नगर परिषद् सोयतकला, जिला शाजापुर के अध्यक्ष पद के उप निर्वाचन 2013 हेतु मतदान दिनांक 24 जुलाई 2013 बुधवार को जिले के संबंधित नगरीय क्षेत्रों में सामान्य अवकाश घोषित करता है.

(2) उक्त दिनांक को केवल संबंधित क्षेत्रों के लिये पराक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिअबल इन्स्ट्रुमेंट्स एक्ट) 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के अन्तर्गत सार्वजनिक अवकाश भी घोषित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**सरिता बाला, उपसचिव.**

भोपाल, दिनांक 6 जुलाई 2013

क्र. ई-5-393-आयएस-लीव-एक-5.—(1) श्री प्रसन्न कुमार दाश, आयएस., अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 6 मई 2013 द्वारा दिनांक 27 मई से 4 जून 2013 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 27 मई से 1 जून 2013 तक छः दिन का पुनरीक्षित अर्जित अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 25, 26 मई 2013 एवं 2 जून 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 6 मई 2013 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

क्र. ई-5-684-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अमित राठौर, आयएएस., आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29 अप्रैल 2013 द्वारा दिनांक 13 से 17 मई 2013 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 14 से 17 मई 2013 तक चार दिन का पुनरीक्षित अर्जित अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 12, 13 मई एवं 18, 19 मई 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29 अप्रैल 2013 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी।

भोपाल, दिनांक 16 जुलाई 2013

क्र. ई-5-762-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री डी. पी. अहिरवार, आयएएस., कमिश्नर, शहडोल संभाग, शहडोल को समसंख्यक आदेश दिनांक 30 अप्रैल 2013 द्वारा दिनांक 29 अप्रैल से 4 मई 2013 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 29 अप्रैल से 1 मई 2013 तक तीन दिन का पुनरीक्षित अर्जित अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30 अप्रैल 2013 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**विद्या भोसले**, अवर सचिव "कार्मिक"।

## जेल विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 जून 2013

क्र. एफ-06-16-2002-तीन-जेल.—जेल प्रिजन्स एक्ट, 1894 की धारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा नीलम पार्क एवं यादगार-ए-शांहजानी पार्क, भोपाल को दिनांक 8 से 19 जुलाई 2013 तक के लिए अस्थायी जेल घोषित करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**दशरथ कुमार**, उपसचिव।

## पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 जुलाई 2013

क्र. एफ-6-2-2013-चौवन-1.—मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1995 की धारा 3(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, श्री मधु वर्मा, निवासी इन्दौर को अध्यक्ष, श्री लक्ष्मी यादव, निवासी सतना एवं डॉ. गुलाब सिंह, निवासी भिण्ड को सदस्य उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अधिनियम की धारा 4(2) के अनुसार 3 वर्ष के लिए मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, भोपाल के पद पर नियुक्त करता है।

(2) इनकी सेवा शर्तें वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-11-2-2007-नियम-4, दिनांक 20 अप्रैल 2007 एवं इसके तत्स्थानी संशोधनों के अनुसार रहेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**जी. एस. खैरवार**, उपसचिव।

## तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 जुलाई 2013

क्र. एफ-21-3-2011-बयालीस (2).—राज्य शासन द्वारा विभाग के समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 20 जुलाई 2011 राज्य स्तरीय कौशल विकास मिशन के तहत व्यापक पैमाने पर रोजगार बढ़ाने, प्रशिक्षण के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने तथा तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण को त्वरित गति से बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के 113 विकासखण्डों में कौशल विकास केन्द्र (स्किल डेवलपमेंट सेंटर) खोले गये हैं।

(2) राज्य शासन द्वारा अब परिशिष्ट-एक में संलग्न सूची अनुसार 20 और विकासखण्डों में कौशल विकास केन्द्र (स्किल डेवलपमेंट सेंटर) खोलने का निर्णय लिया है तथा प्रत्येक कौशल विकास केन्द्र के संचालन के लिए परिशिष्ट-दो अनुसार कुल 8 पद निर्मित किये जाकर, उन्हें अनुबंध पर भरने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। यह केन्द्र "मध्यप्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद्" के अधीन संदर्भित ज्ञाप के द्वारा अनुमोदित योजनानुसार संचालित होंगे।

(3) समस्त नियुक्तियां मध्यप्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा अनुबंध पर अस्थायी रूप से की जाएगी एवं भर्ती में राज्य शासन के आरक्षण नियमों का पालन किया जाएगा।

(4) 20 कौशल विकास केन्द्रों की स्थापना की योजना पर वित्त विभाग द्वारा उनकी टीप क्रमांक सीआर-765-बी. 3-चार-2013, दिनांक 4 जुलाई 2013 के द्वारा सहमति दी गई है।

### परिशिष्ट-एक

#### 20 विकासखण्डों में नवीन कौशल विकास केन्द्रों की सूची

स. क्र.	जिले का नाम	क्र.	विकासखण्ड का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
(1)	अशोकनगर	1.	चन्देरी
(2)	बालाघाट	2.	वारासिवनी
		3.	कटंगी
(3)	डिण्डौर	4.	समनापुर
(4)	हरदा	5.	खिरकिया
(5)	कटनी	6.	रीठी
(6)	सीहोर	7.	आष्टा
(7)	शाजापुर	8.	कालापीपल
(8)	दमोह	9.	पथरिया
		10.	बटियागढ़
(9)	टीकमगढ़	11.	निवाड़ी
(10)	दतिया	12.	सेवड़ा
(11)	सागर	13.	केसली
		14.	बंडा
(12)	छतरपुर	15.	गौरीहार
(13)	गुना	16.	बमोरी
		17.	आरौन
(14)	मुरैना	18.	पोरसा
		19.	जौरा
(15)	जबलपुर	20.	सिहोरा

### परिशिष्ट-दो

पदनाम	नियुक्ति का प्रकार	पदों की संख्या	वेतन /पारिश्रमिक
(1)	(2)	(3)	(4)
प्रबंधक (मैनेजर)	अनुबंध पर	20 (प्रत्येक केन्द्र में एक)	रु. 21000/- प्रतिमाह (संविदा पर)

(1)	(2)	(3)	(4)
कार्यालय सहायक-सह-लेखापाल	अनुबंध पर	20 (प्रत्येक केन्द्र में एक)	रु. 11000/- प्रतिमाह (संविदा पर)
प्रशिक्षक	अनुबंध पर	80 (प्रत्येक केन्द्र में चार)	रु. 7200/- प्रतिमाह (संविदा पर)
भृत्य/चौकीदार/स्वीपर	अनुबंध पर	40 (प्रत्येक केन्द्र में दो)	रु. 4000/- प्रतिमाह जिलाध्यक्ष दर पर अथवा आउटसोर्स द्वारा

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
शमीम उद्दीन, अपर सचिव.

### आदिम जाति कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 2013

क्र. एफ-23-24-2013-3-पच्चीस.—राज्य शासन, विभागीय आदेश एफ-23-6-2004-5-25, दिनांक 22 जून 2010 के तारतम्य में मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 1995 में नीहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य के कार्यकाल में दिनांक 26 जून 2013 से एक वर्ष की अवधि के लिये वृद्धि की जाती है:—

1. श्री रामलाल रौतेल, अनूपपुर — अध्यक्ष
2. श्री शिवराज शाह "शिव भैया" — सदस्य

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
तबरसुम जैदी, उपसचिव.

### गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 2013

क्र. एफ-1(ए)-59-03-ब-2-दो.—श्री विजय सूर्यवंशी, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, छतरपुर रेंज, छतरपुर को दिनांक 22 से 27 जुलाई 2013 तक छः दिवस अर्जित अवकाश 20, 21 एवं 28 जुलाई 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री विजय सूर्यवंशी, भापुसे की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री शियास ए. भापुसे, पुलिस अधीक्षक, छतरपुर द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री विजय सूर्यवंशी, भापुसे, को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, छतरपुर रेंज, छतरपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री विजय सूर्यवंशी, भापुसे, द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री विजय सूर्यवंशी, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विजय सूर्यवंशी, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ-1(ए)-214-1996-ब-2-दो.—श्री आर. के. गुप्ता, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक रीवा जोन, रीवा को दिनांक 29 अप्रैल से 6 मई 2013 तक दिनांक 28 अप्रैल 2013 के विज्ञप्त अवकाश सहित कुल आठ दिवस का अर्जित अवकाश एवं दिनांक 24 से 29 जून 2013 तक दिनांक 30 जून 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ सहित कुल छः दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाशकाल में श्री आर. के. गुप्ता, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. के. गुप्ता, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
इन्द्रनील शंकर दाणी, अपर मुख्य सचिव.

## आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 अगस्त 2013

क्र. एफ-3-14-13-बत्तीस.—राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (संशोधन 1996) की धारा 17-क (1) के अन्तर्गत गंजबासौदा विकास योजना हेतु निम्न समिति का गठन किया जाता है। यह समिति अधिनियम की धारा 17-क (2) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी:—

अधिनियम की धारा	पद/व्यक्ति का नाम	संस्था का नाम	पद
17-क (1)			
(1)	(2)	(3)	(4)
(क)	अध्यक्ष	नगरपालिका परिषद् गंजबासौदा	सदस्य
(ख)	अध्यक्ष	जिला पंचायत, विदिशा	सदस्य
(ग)	सांसद	लोक सभा क्षेत्र, विदिशा	सदस्य
(घ)	विधायक	विधान सभा क्षेत्र, गंजबासौदा	सदस्य
(ङ)	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
(च)	अध्यक्ष	जनपद पंचायत, गंजबासौदा	सदस्य
(छ)	1. सरपंच	ग्राम पंचायत गंज (ग्राम गंज, रजोदा, पठारी, बासौदा).	सदस्य
	2. सरपंच	ग्राम पंचायत चौरावर (ग्राम चौरावर)	सदस्य
	3. सरपंच	ग्राम पंचायत गमाकर (ग्राम गमाकर)	सदस्य
	4. सरपंच	ग्राम पंचायत महागौर (ग्राम महागौर, वनवाजागीर)	सदस्य
	5. सरपंच	ग्राम पंचायत स्वरूप नगर (ग्राम स्वरूप नगर)	सदस्य
	6. सरपंच	ग्राम पंचायत, मुडरा (ग्राम जीवाजीपुर, मेवली)	सदस्य
	7. सरपंच	ग्राम पंचायत हरदूखेड़ी (ग्राम हरदूखेड़ी, वेहलोट)	सदस्य
	8. सरपंच	ग्राम पंचायत, हतोडा (ग्राम हतोडा)	सदस्य
	9. सरपंच	ग्राम पंचायत खेरूआ (ग्राम खेरूआ, नसीदपुर)	सदस्य
	10. सरपंच	ग्राम पंचायत, रबरयाई (ग्राम राउखेड़ी)	सदस्य



(1)	(2)	(3)	(4)
(ज)	1. प्रतिनिधि	इस्ट्रीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इण्डिया	सदस्य
	2. प्रतिनिधि	कॉउंसिल ऑफ आर्कीटेक्चर ऑफ इण्डिया	सदस्य
	3. प्रतिनिधि	इस्ट्रीट्यूट ऑफ इन्जीनियर्स ऑफ इण्डिया	सदस्य
	4. प्रतिनिधि	कलेक्टर जिला, विदिशा	सदस्य
	5. प्रतिनिधि	पुलिस अधीक्षक, विदिशा	सदस्य
	6. प्रतिनिधि	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, विदिशा	सदस्य
	7. प्रतिनिधि	अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, गंजबासौदा	सदस्य
(झ)	समिति का संयोजक	संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय भोपाल / सीहोर (म. प्र.).	सदस्य

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

## उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 अगस्त 2013

क्र. 1146-147-358-सीसी-13-अड़तीस.—निजी विश्वविद्यालयों के लिए लीज पर शासकीय भूमि आवंटन के संबंध में नीति राज्य शासन के निर्देशों अनुसार प्रकाशित की जाती है। विभागीय नीति प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सी. बी. पड़वार, उपसचिव.

क्र. 1146-358-सीसी-13-अड़तीस.—ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2012 में एवं समय-समय पर विभिन्न क्षेत्रों में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिये राज्य शासन द्वारा प्रयास किये गये हैं जिससे प्रदेश में उद्योगों, सेवा क्षेत्र, सामाजिक, शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना हो सके एवं प्रदेश में रोजगार सृजन के साथ-साथ प्रदेश का सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास हो सके। उच्च शिक्षा विभाग को सन् 2020 तक प्रदेश में उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों का जीईआर 20 प्रतिशत किये जाने का लक्ष्य है। इस हेतु प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में निजी पूंजी को प्रोत्साहित करने के लिये निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही है, जिससे प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु निजी संस्थायें स्थापित हो सकें।

राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में स्थापित मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2007 एवं राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-16-14-2013-सात-शा.-2 ए, दिनांक 30 मई 2013 के परिप्रेक्ष्य में विभाग द्वारा निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिये लीज पर शासकीय भूमि आवंटन के संबंध में विभागीय नीति के अनुरूप निम्न कार्यवाही की जावे:—

- (अ) संस्थाओं द्वारा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम के अन्तर्गत विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु प्रस्तुत प्रस्तावों को निवेश प्रस्ताव माना जावे।
- (ब) उन निवेशकों/संस्थाओं को जिन्होंने राज्य शासन से विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु एम.ओ.यू. किये हैं, उन्हें विनियामक आयोग की अनुशंसा के उपरान्त राज्य शासन द्वारा निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु आशय-पत्र जारी किया गया हो तथा संस्था द्वारा भूमि की मांग करने पर भूमि आवंटन की अनुशंसा राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 16-14-2013-सात-शा.-2, ए, दिनांक 30 मई 2013 के प्रावधानों के अनुसार संबंधित कलेक्टर को की जावे। तदुपरान्त राजस्व विभाग की दिनांक 30 मई 2013 की नीति के अनुरूप कार्यवाही की जावेगी।

- (स) निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु आवश्यक भूमि का क्षेत्रफल मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के अनुरूप होगा, जिसमें समय-समय पर किये गये संशोधन मान्य होंगे।
- (द) लीज पर दी जाने वाली भूमि की प्रव्याजि एवं भू-भाटक राजस्व विभाग के शैक्षणिक संस्थाओं हेतु भू-आवंटन के वर्तमान प्रावधानों के अनुसार ही होगा।

इस संबंध में वित्त विभाग की सहमति क्र. 809-ब-5-13, दिनांक 26 जुलाई 2013 द्वारा प्राप्त कर ली गई है।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सी. बी. पड़वार, उपसचिव।

## विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, ग्वालियर, मध्यप्रदेश

ग्वालियर, दिनांक 16/22 जुलाई 2013

क्र. 1-स्टेनो-एडीएम-2013-7938.— भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पत्र क्रमांक 1025, दिनांक 13 जुलाई 2013 में उल्लेखित किया गया है कि नार्थ साउथ कोरीडोर के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 03 एवं 75 को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग ग्वालियर बायपास फोरलेन का निर्माण पूर्ण हो चुका है तथा ट्रेफिक का आवागमन भी दिनांक 1 जुलाई 2013 को मध्य रात्रि से आवागमन हेतु खोला जा चुका है।

ग्वालियर बायपास का निर्माण शहर ग्वालियर में हैवी ट्रेफिक के घनत्व को कम करने हेतु बनाया है। अतः शहर में ट्रेफिक के दबाव को कम करने के लिए जो ट्रेफिक शहर से गुजर रहा है, उसे सुरक्षित ढंग से ग्वालियर बायपास के द्वारा आगरा-मुर्ना से आने वाले ट्रेफिक को शिवपुरी, झांसी एवं भिण्ड-इटावा के लिये निकाला जा सकता है तथा शिवपुरी, झांसी-भिण्ड-इटावा से आने वाले ट्रेफिक को मुर्ना, आगरा की ओर बायवास के माध्यम से निकाला जा सकता है।

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 115 तथा 116 (1) (ख) एवं मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 के नियम 215 एवं 216 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यातायात के बढ़ते हुए दबाव के कारण सार्वजनिक सुरक्षा एवं सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रबंधक तकनीकी के प्रस्ताव से समहत होते हुए तद्विषय पूर्व में जारी आदेशों/अधिसूचनाओं पर अभिभावी (OVERRIDE) करते हुए मैं, पी. नरहरि, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ग्वालियर यह आदेशित करता हूँ कि आगरा-मुर्ना से आने वाले ट्रेफिक को शिवपुरी, झांसी एवं भिण्ड-इटावा के लिये तथा शिवपुरी झांसी भिण्ड-इटावा से आने वाले ट्रेफिक को मुर्ना, आगरा की ओर नार्थ-साउथ कोरीडोर के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग ग्वालियर बायपास फोरलेन से निकाला जावे। वे वाहन जो आगरा, इटावा, शिवपुरी एवं झांसी की ओर से ग्वालियर ट्रांसपोर्ट नगर तक आना एवं जाना चाहेंगे उन्हें साडा रोड से जाने-आने की छूट रहेगी। व्यावसायिक मालवाहनों के ग्वालियर शहर में साडा-रोड एवं विक्की फैक्ट्री से शहर के भीतरी मार्गों पर संचालन को संपूर्ण समय (24 घण्टे) पूर्णतः प्रतिबंधित (PROHIBIT) करता हूँ।

किसी विशेष भारी वाहन की विशेष परिस्थितियों में नगर में प्रवेश की अनुमति अपर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दी जा सकेगी।

पी. नरहरि, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट.

कार्यालय, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, सागर, मध्यप्रदेश

सागर, दिनांक 27 जुलाई 2013

क्र. 8708-भू-अर्जन-2013.—राज्य शासन को यह संज्ञान में लाया गया है कि "पंचम नगर परियोजना" (पगारा बांध) जिला सागर के क्रियावन्धन हेतु भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के तहत धारा 4 की उपधारा (1) के तहत एक अधिसूचना क्रमांक 966-भू-अर्जन-2012, दिनांक 17 फरवरी 2012 उसमें उल्लेखित भूमि के भू-अर्जन हेतु जारी की गई थी। इस अधिसूचना का प्रकाशन समाचार-

पत्र "दैनिक भास्कर" के भोपाल संस्करण जो दिनांक 21 दिसम्बर 2012 को प्रकाशित किया गया था. इस अधिसूचना के विरुद्ध ग्रामवासियों द्वारा दिनांक 29 फरवरी 2012 को एक आपत्ति अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा के समक्ष प्रस्तुत की गई थी. भूलवश आपत्ति के निराकरण के संबंध में बिना कोई आदेश पारित किये हुए एवं भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5-ए के तहत कार्यवाही न करते हुए धारा 6 की अधिसूचना क्रमांक क-भू-अर्जन-2011-प्र.क्र.-1-11-अ-82-11-12 को जारी की गई एवं तत्पश्चात् संबंधित ग्रामवासियों को धारा 9 के तहत सूचना भी जारी की गई. चूंकि अधिनियम के प्रावधानों के तहत धारा 5-ए की कार्यवाही अनिवार्य है. अतः राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उक्त उल्लेखित परियोजना के तहत भू-अर्जन की कार्यवाही धारा 5-ए के अन्तर्गत की गई आपत्ति दिनांक 29 फरवरी 2012 पर सुनवाई करते हुए उसी स्थिति से पुनः शुरू की जावेगी.

अतः धारा 6 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 28-12-2012 को एतद्वारा निरस्त किया जाता है. धारा 5-ए के प्रावधानों के तहत कार्यवाही के पश्चात् आवश्यकता अनुसार धारा 6 की अधिसूचना आवश्यकता अनुसार जारी की जावेगी एवं इस अधिसूचना के माध्यम से यह भी सूचित किया जाता है कि ऊपर उल्लेखित परियोजना के अंतर्गत जारी धारा 9 की सूचना (नोटिस) जो संबंधितजनों को दी गई है तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती है. भविष्य में आवश्यकतानुसार अधिनियम के प्रावधानों के तहत धारा 9 की सूचना पुनः जारी की जा सकेगी.

योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

### कार्यालय, कुलाधिपति, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

राज भवन, भोपाल दिनांक 2 अगस्त 2013

#### आदेश

क्र. 831-13-रा.स.-यू.ए.-1.—मध्यप्रदेश शासन द्वारा विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन में मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 52 के प्रावधानों को आगे प्रभावशील नहीं रखे जाने हेतु शासनादेश क्रमांक एफ 52-2-2010-38-3, दिनांक 6 जुलाई 2013 के द्वारा निर्णय लिया गया है.

(2) मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 14 की उपधारा (6) के प्रावधानान्तर्गत मैं, राम नरेश यादव, कुलाधिपति, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन एतद्वारा डॉ. आर.सी. वर्मा, संकायाध्यक्ष, जीव विज्ञान संकाय एवं आचार्य, वनस्पति अध्ययनशाला, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन को विश्वविद्यालय के नियमित कुलपति की नियुक्ति होने तक के लिए उक्त विश्वविद्यालय के कुलपति का कार्य संपादित करने के लिए नाम-निर्देशित करता हूँ.

राम नरेश यादव, कुलाधिपति, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन.

### संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 6 जुलाई 2013

क्र. 1-जी-विज्ञप्त-सेल-6-वेतनमान-2013-1001.— मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 1990 के नियम-4 उपबंध-2, भाग-ख में किये गये प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित 120 चिकित्सा अधिकारियों को प्रवर श्रेणी वेतनमान रुपये 12000—375—16500 (पुनरीक्षित वेतन बेण्ड 15600—39100+ग्रेड पे 7600), दिनांक 1-1-2007 से एतद्वारा स्वीकृत किया जाता है :—

क्र.	चिकित्सा अधिकारी का नाम	पदक्रम सूची में क्रमांक/वर्ष	लो.से.आ. का चयन वर्ष एवं क्रमांक/नियमितकरण वर्ष	प्रवर श्रेणी वेतनमान दिये जाने का दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4) (5)	(6)
1	DR. P.N. KUBER	609	1983 358	1-1-2007
2	DR. SMT. BINA NAGLE	610	1983 359	1-1-2007
3	DR. SMT. H. GUPTA	611	1983 361	1-1-2007
4	DR. JAI PRAKASH SONKAR	612	1983 364	1-1-2007

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	DR. R. C. SONKAR	615	1983	369	1-1-2007
6	DR. SURESH SILWAT	616	1983	376	1-1-2007
7	DR. SMT. N. CHHATRASALI	625	1983	413	1-1-2007
8	DR. ASHOK VERMA	626	1983	420	1-1-2007
9	DR. H. S. GOYAL	627	1983	422	1-1-2007
10	DR. BHAG CHAND GAVLI	628	1983	424	1-1-2007
11	DR. M. K. CHOURE	631	1983	429	1-1-2007
12	DR. R.C.P. SISODIYA	632	1983	430	1-1-2007
13	DR. B. L. AHIRWAL	633	1983	431	1-1-2007
14	DR. SMT. CHANDRAKANTA GUPTA	635	1983	5-R	1-1-2007
15	DR VINSHNU KANT CHOUDHARY	637	1983	9-R	1-1-2007
16	DR. G.C. SAXENA	638	1983	11-R	1-1-2007
17	DR. R.P. SHARMA	639	1983	12-R	1-1-2007
18	DR. S. P. TIWARI	640	1983	13-R	1-1-2007
19	DR. S. S. JADON	641	1983	15-R	1-1-2007
20	DR. ANIL KUMAR DUBEY	642	1983	16-R	1-1-2007
21	DR. PRADEEP VYAS	644	1983	21-R	1-1-2007
22	DR. D.K. JAIN	646	1983	28-R	1-1-2007
23	DR. VIJAY KUMAR CHHAJLANI	647	1983	33-R	1-1-2007
24	DR. M. K. JAIN	648	1983	34-R	1-1-2007
25	DR. SMT. CHHAYA JOSHI	650	1983	36-R	1-1-2007
26	DR. R.K. GANDHI	651	1983	39-R	1-1-2007
27	DR. RAMA SHANKAR TRIPATHI	653	1983	52-R	1-1-2007
28	DR. SMT. P. SHIRVASTAVA	655	1983	63-R	1-1-2007
29	DR. SUSHIL RATHI	656	1983	66-R	1-1-2007
30	DR D. K. DWIVEDI	658	1983	69-R	1-1-2007
31	DR. SHIV KUMAR PANDE	659	1983	73-R	1-1-2007
32	DR. SMT. CHITRA SHRIVASTAVA	662	1983	77-R	1-1-2007
33	DR. P. K. RATHORE	663	1983	80-R	1-1-2007
34	DR. GURUMEET SINGH	664	1983	84-R	1-1-2007
35	DR. RAKESH CHOUKSEY	665	1983	85-R	1-1-2007
36	DR. N. C. JOSHI	666	1983	87-R	1-1-2007
37	DR. V. ANDEO	667	1983	90-R	1-1-2007
38	DR. AVATAR SINGH	668	1983	91-R	1-1-2007
39	DR. RATNESH JAIN	669	1983	92-R	1-1-2007
40	DR. ARVIND TANDON	670	1983	94-R	1-1-2007
41	DR. R. K. JAISWAL	671	1983	96-R	1-1-2007
42	DR. DINESH GARG	672	1983	104-R	1-1-2007
43	DR. SMT. HEMLATA MANDLOI	674	1983	106-R	1-1-2007
44	DR. ADHIR KUMAR MISHRA	675	1983	107-R	1-1-2007
45	DR. S. S. SHAPMA	691	1987	125	1-1-2007
46	DR. O. P. GUPTA	694	1987	130	1-7-2007
47	DR. R. N. GUPTA	695	1987	12	1-1-2007
48	DR. S. G. PATWARDHAN	696	1987	139	1-1-2007
49	DR. KALYANMAL JAIN	698	1988	143	1-1-2007
50	DR. M. K. JAIN	699	1988	18	1-1-2007
51	DR. SMT. SATYA SAO	701	1987		1-1-2007
52	DR. MADHAV KUMAR PANCHOLI	702	1988	151	1-1-2007
53	DR. M. M. VYAS	704	1988	159	1-1-2007
54	DR. MADAN SWAROOP PANSARI	705	1988	160	1-1-2007
55	DR. BADRI PRASAD MISHRA	706	1988	164	1-1-2007
56	DR. A. P. PATHAK	707	1987	166	1-1-2007

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
57	DR. NISHAR AHMAD	708	1987	1750	1-1-2007
58	DR. IQBAL ZAKIUDDIN	710	Confirm Order Gaz/307/ 20/1/03	26	1-1-2007
59	DR. PRAGI LAL PARIHAR	713	1987	805	1-1-2007
60	DR. L. L. CHANDERIA	714	1987	21	1-1-2007
61	DR. S. S. TOMAR	715	1987	172	1-1-2007
62	DR. GOPAL SINGH SISODIYA	716	1987	173	1-1-2007
63	DR. SMT. NETRA UPADHAYAY	717	1987	174	1-1-2007
64	DR. SHASHI KANT JOSHI	718	1987	175	1-1-2007
65	DR. SMT. KAMLESH OJHA	722	1987	186	1-1-2007
66	DR. SMT. SHANTI SUMAN DIWAKAR	726	1987	188	1-1-2007
67	DR. D. K. BANSAL	728	1987	191	1-1-2007
68	DR. P. KAUSHAL	729	1987	192	1-1-2007
69	DR. B. P. KHARE	732	1987	196	1-1-2007
70	DR. S. K. PURANIK	733	1987	196	1-1-2007
71	DR. ANIL KUMAR SHRIVASTAVA	735	1987		1-1-2007
72	DR. PAWAN KUMAR JAIN	736	1987	231	1-1-2007
73	DR. A. K. CHATURVEDI	737	1987	200	1-1-2007
74	DR. S. C. AGRAWAL	740	1987	204	1-1-2007
75	DR. R. S. KANASKAR	741	1987	206	1-1-2007
76	DR. SUDHEER KUMAR JAIN	743	1987	207	1-1-2007
77	DR. BHAGCHAND JAIN	744	1987	209	1-1-2007
78	DR. P. N. SHRIVASTAVA	745	1987	208	1-1-2007
79	DR. SMT. MEMLATA DUBEY	746	1987	213	1-1-2007
80	DR. NARENDRA KUMAR JAIN	748	1987	1760	1-1-2007
81	DR. A. MISHRA	750	1987	217	1-1-2007
82	DR. S. P. GARG	751	1987	219	1-1-2007
83	DR. RAMESHWAR VYAS	753	1987	224	1-1-2007
84	DR. R. K. NAKRA	754	1987	229	1-1-2007
85	DR. SEVAK RAM BOPCHE	755	1987	230	1-1-2007
86	DR. JAGDHISH C. GUPTA	757	1987	281	1-1-2007
87	DR. RAVI SHANAKR SHUKLA	758	1987	233	1-1-2007
88	DR. N. S. KOCHKAR	759	1987	232	1-1-2007
89	DR. SUBHASH SINGH	763	1987	237	1-1-2007
90	DR. D. K. DUBEY	764	1987	236	1-1-2007
91	DR. JAWAHAR LAL JAIN	765	1987	238	1-1-2007
92	DR. R. C. SHARMA	768	1987	293	1-1-2007
93	DR. MANOHAR LAL CHOUDHA	771	1987	245	1-1-2007
94	DR. JAWAHAR LAL JAIN	772	1987	246	1-1-2007
95	DR. SHARAD CHANDRA BADAL	773	1987	297	1-1-2007
96	DR. H. S. BHAWNANI	775	1987	248	1-1-2007
97	DR. K. L. PATASKAR	777	1987	252	1-1-2007
98	DR. A. K. AGNIHOTRI	780	1987	310	1-1-2007
99	DR. A. K. ARORA	781	1987	28	1-1-2007
100	DR. G. S. CHANDRAWAT	783	1987	256	1-1-2007
101	DR. SMT. PUSHPLATA KALANTRI	784	1987	312	1-1-2007
102	DR. SMT. BEENA CHAWLA	785	1987	262	1-1-2007
103	DR. SANDHYA SWAMI	786	1987	262	1-1-2007
104	DR. RAJESH KUMAR KHARE	788	1987	268	1-1-2007
105	DR. SMT. RAMA PARIHAR	790	1987	269	1-1-2007
106	DR. SMT. SUNITA SHARMA	793	1987	336	1-1-2007

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
107	DR. SHANTA PALOD	794	1987	273	1-1-2007
108	DR. NEERAJ PATHAK	795	1987	29	1-1-2007
109	DR. MAHENDRA K. JAIN	796	1987	365	1-1-2007
110	DR. S. S. CHAURASIA	797	1987	275	1-1-2007
111	DR. RAMESH CHANDRA JAIN	798	1987	277	1-1-2007
112	DR. M. L. SHARMA	799	1987	278	1-1-2007
113	DR. V. M. PETHE	800	1987	281	1-1-2007
114	DR. N. K. SONI	801	1987	284	1-1-2007
115	DR. LAXAMI CHANDRA CHAURASIA	802	1987	282	1-1-2007
116	DR. R. K. PYASI	804	1987	285	1-1-2007
117	DR. HARISH DALE	805	1987	289	1-1-2007
118	DR. ARVIND GOSWAMI	806	1987	290	1-1-2007
119	DR. A. R. KHAN	807	1987	292	1-1-2007
120	DR. MUKIM AHMAD	808	1987	294	1-1-2007

(2) जिन चिकित्सा अधिकारियों को प्रवर श्रेणी वेतनमान स्वीकृत किया गया है, का वेतन निर्धारित मूलभूत नियम 22-ए (2) में किये गये प्रावधानों के तहत किया जावेगा. किसी भी दशा में मूलभूत नियम 22-डी का लाभ देय नहीं होगा.

(3) जिन चिकित्सा अधिकारियों को इस आदेश के तहत प्रवर श्रेणी वेतनमान रुपये 12000—375—16500 (पुनरीक्षित वेतन बेण्ड 15600—39100+ग्रेड-पे 7600) स्वीकृत किया जा रहा है उनका वेतन निर्धारण करने के पूर्व निम्नलिखित निर्देशों के तहत संबंधित चिकित्सक की सेवा पुस्तिका / सेवा अभिलेखों से पुष्टि / कार्यवाही कर ली जाए:—

- (1) चिकित्सा अधिकारियों को प्रवर श्रेणी वेतनमान जिस दिनांक से स्वीकृत किया गया है उस दिनांक के पूर्व की 05 वर्ष की सेवा में कोई अवधि डाईजनों की गई हो तो उनकी प्रवर श्रेणी की पात्रता को स्थगित रखते हुए संचालनालय से यथास्थिति मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत करें.
- (2) यदि प्रवर श्रेणी वेतनमान का लाभ प्राप्त करने वाले चिकित्सा अधिकारियों को उसे प्रवर श्रेणी वेतनमान का लाभ दिये जाने के दिनांक के पूर्व की सेवा किसी कालावधि की अनाधिकृत अनुपस्थिति का निराकरण संचालनालय/ राज्य शासन द्वारा किया जाना बाकी हो तो प्रवर श्रेणी वेतनमान का लाभ अनाधिकृत अनुपस्थिति कालावधि के निराकरण के बाद ही दिया जाये.
- (3) यदि प्रवर श्रेणी वेतनमान का लाभ प्राप्त करने वाले चिकित्सा अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच/ आपराधिक प्रकरण लंबित हो तो प्रवर श्रेणी वेतनमान में वेतन निर्धारण विभागीय जांच/ आपराधिक प्रकरण के निराकरण के बाद और अंतिम आदेश के अध्याधीन होगा.
- (4) यदि कोई चिकित्सक उस दिनांक जिस दिनांक से प्रवर श्रेणी वेतनमान स्वीकृत किया गया है के पूर्व सेवानिवृत्त/ मृत हो चुका हो, त्याग पत्र दे दिया हो अथवा नियमित पदोन्नत हो चुका हो तो ऐसे चिकित्सक को प्रवर श्रेणी वेतनमान का लाभ देय नहीं होगा.
- (5) प्रवर श्रेणी वेतनमान का लाभ प्राप्त करने वाले चिकित्सकों में से जो चिकित्सक वर्तमान में नियमित विशेषज्ञ अथवा अन्य समतुल्य प्रवर पद पर कार्यरत हैं, उन्हें प्रवर श्रेणी वेतनमान का लाभ विशेषज्ञ पद अथवा अन्य समतुल्य पद का अथवा प्रवर पद पर नियुक्ति के दिनांक तक ही प्राप्त होगा और विशेषज्ञ अथवा समतुल्य प्रवर पद पर नियुक्ति से पदोन्नत पद पर वेतन निर्धारण तत्समय प्रचलित नियम के अनुसार किया जाये.

## राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 6 जुलाई 2013

पत्र क्र. 2720-भू-अर्जन-13-14-रा.प्र.क्र.-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल भूमि (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	पेटलावद	रामगढ़	0.13	कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग पेटलावद, जिला-झाबुआ (म. प्र.).	माही परियोजना की रामगढ़ सब- माईनर क्र.-1 नहर निर्माण हेतु.
योग . .			0.13		

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 2722-भू-अर्जन-13-14-रा.प्र.क्र.-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल भूमि (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	पेटलावद	हिण्डोलाबावड़ी	0.15	कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग पेटलावद, जिला-झाबुआ (म. प्र.).	माही परियोजना की उम्मेदपुरा माईनर नहर निर्माण हेतु.
योग . .			0.15		

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 2724-भू-अर्जन-13-14-रा.प्र.क्र.-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता

पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल भूमि (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	पेटलावद	बैंगनबडी	0.15	कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग पेटलावद,	माही परियोजना की उम्मेदपुरा माईनर नहर निर्माण हेतु.
योग . .			0.15	जिला-झाबुआ (म. प्र.).	

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 2726-भू-अर्जन-12-रा.प्र.क्र.-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल भूमि (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	पेटलावद	कचनारिया	0.19	कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग पेटलावद,	माही परियोजना की बडलीपाड़ा सबमाईनर नंबर-2 निर्माण हेतु.
योग . .			0.19	जिला-झाबुआ (म. प्र.).	

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 2728-भू-अर्जन-12-रा.प्र.क्र.-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी



को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल भूमि (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	पेटलावद	करवड़	0.03	कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग पेटलावद, जिला-झाबुआ (म. प्र.).	माही परियोजना की करनगढ़ माईनर नहर निर्माण हेतु.
योग . .			0.03		

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**जयश्री कियावत**, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 27 जुलाई 2013

क्र. 250-भू.अ.-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	धरमपुरी	खलबुजुर्ग	13.860	कार्यपालन यंत्री, लो. नि.वि. न. घा. वि. प्रा. इं. सा. परि. संभाग क्र. 02 धरमपुरी, जिला धार.	सरदार सरोवर परियोजना (अन्तर्राज्यी प्रोजेक्ट) में आने से.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना धरमपुरी एवं कार्यपालन यंत्री लो. नि. वि. न. घा. वि. प्रा. इं. सा. परि. संभाग क्र. 02 धरमपुरी जिला धार (म. प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

धार, दिनांक 29 जुलाई 2013

क्र. 9982-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना

है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	कुक्षी	घोटियादेव	20.993	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मनावर.	घोटियादेव सिंचाई तालाब के निर्माण से प्रभावित होने से.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मनावर जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

### कार्यालय, कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

इन्दौर, दिनांक 27 जुलाई 2013

क्र. 463-भू-अर्जन-(महू) डॉ. अम्बेडकर नगर-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 "अ" के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 (1) सह 17 (4) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे.में.)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
इन्दौर	डॉ. अम्बेडकर नगर (महू).	उमरिया	0.651	संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड इन्दौर.	राऊ-महू-मण्डलेश्वर राजमार्ग-1 के ग्राम उमरिया में टोल प्लाजा निर्माण हेतु.
		योग . .	0.651		

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—राऊ-महू-मण्डलेश्वर राजमार्ग-1 के ग्राम उमरिया में टोल प्लाजा निर्माण के लिए.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी डॉ. अम्बेडकर नगर (महू) एवं संभागीय प्रबंधक मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड इन्दौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उज्जैन, दिनांक 27 जुलाई 2013

क्र. भूमि संपादन-2013-प्र. क्र.-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के		सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उज्जैन	महिदपुर	टाण्डा चौरवासा	0.18 2.01	भू-अर्जन अधिकारी, महिदपुर.	टाण्डा जलाशय योजना अंतर्गत केनाल स्केप से जल निकासी हेतु एवं डुब में आ रही अतिरिक्त भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, महिदपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

उज्जैन, दिनांक 29 जुलाई 2013

क्र.-भूमि संपादन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क) के उपबंध उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :-

## अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के		सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उज्जैन	उज्जैन	कस्बा उज्जैन	21.299	भू-अर्जन अधिकारी, उज्जैन.	उज्जैन सिंहस्थ बायपास मार्ग निर्माण हेतु ग्राम कस्बा उज्जैन तहसील व जिला उज्जैन के अंतर्गत आवश्यक निजी भूमि अर्जन हेतु भूमि अधिग्रहण.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, उज्जैन में देखा जा सकता है.

क्र.-भूमि संपादन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाना (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क) के उपबंध उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उज्जैन	उज्जैन	ग्राम जीवनखेडी	3.601	भू-अर्जन अधिकारी, उज्जैन.	उज्जैन सिंहस्थ बायपास मार्ग निर्माण हेतु ग्राम जीवनखेडी, उज्जैन तहसील व जिला उज्जैन के अंतर्गत आवश्यक निजी भूमि अर्जन हेतु भूमि अधिग्रहण.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकार, उज्जैन में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**बी. एम. शर्मा**, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 29 जुलाई 2013

क्र. 31-अ-82- 12-13-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	चीनौर	दुबही-II	6.462	कार्यपालन यंत्री, हस्सी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 1 डबरा, जिला ग्वालियर.	हस्सी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की वितरण प्रणाली के निर्माण हेतु.
			योग . .	6.462	

भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**पी. नरहरि**, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 29 जुलाई 2013

क्र. 436-भू-अर्जन-तेंदूखेड़ा-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

जिला	तहसील/ तालुका	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दमोह	तेंदूखेड़ा	1. अमवाही 2. बादीपुरा	13.06 18.33	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, दमोह (म. प्र.).	अमवाही जलाशय योजना के बांध एवं डूब क्षेत्र हेतु.
योग . .			31.39		

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तेंदूखेड़ा (दमोह) तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 30 जुलाई 2013

क्र. 1785-भू-अर्जन-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

## अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	उकठी उर्फ हरिहरपुर	0.025	कार्यपालन यंत्री, वित्तिका संभाग, रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाला क्यॉटी मुख्य नहर की बोदा डिस्ट्रीब्यूटरी की टिकुरी माइनर की टिकुरी सबमाइनर में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1787-भू-अर्जन-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची—पूरक प्रकरण

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	सथनी कोठार	0.020	कार्यपालन यंत्री, वितरिका संभाग, रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली क्यौंटी मुख्य नहर की लौवा वितरक नहर में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 31 जुलाई 2013

क्र. 1793-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का विवरण		धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल (लगभग हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	बरौ	0.944	कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा (म. प्र.).	टोन्स नहर के वाये पार्श्व में अतिरिक्त सैंच्य क्षेत्र विकसित करने हेतु माइनर नहर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1795-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को

इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	रमपुरवा	0.896	कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा (म. प्र.).	टोन्स नहर के वाये पार्श्व में अतिरिक्त सैंच्य क्षेत्र विकसित करने हेतु माइनर नहर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1797-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	गोदहा	1.024	कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा (म. प्र.).	टोन्स नहर के वाये पार्श्व में अतिरिक्त सैंच्य क्षेत्र विकसित करने हेतु माइनर नहर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1799-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	बीड़ा	5.088	कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा (म. प्र.).	टोन्स नहर के वाये पार्श्व में अतिरिक्त सैंच्य क्षेत्र विकसित करने हेतु माइनर नहर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1801-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	शाहपुर	1.128	कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा (म. प्र.).	टोन्स नहर के वाये पार्श्व में अतिरिक्त सैंच्य क्षेत्र विकसित करने हेतु माइनर नहर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1803-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	भेलोड़ी	2.64	कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा (म. प्र.).	टोन्स नहर के वाये पार्श्व में अतिरिक्त सैंच्य क्षेत्र विकसित करने हेतु माइनर नहर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

**बी. बी. श्रीवास्तव**, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 1 अगस्त 2013

क्र. 6938-39-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना



है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

### डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि

राजगढ़	राजगढ़	रोज्या	8.765	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग राजगढ़.	रोज्या तालाब के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि का अर्जन.
--------	--------	--------	-------	----------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------

योग . . . 8.765

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 6940-41-भू-अर्जन-2013-संशोधित.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

### सीमांकन अनुसार शेष एवं मिट्टी खनन के लिए भूमि

राजगढ़	राजगढ़	कुण्डीबे	2.978	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग राजगढ़.	कुण्डीबे तालाब में सीमांकन अनुसार शेष एवं मिट्टी खनन के लिए भूमि का अर्जन.
--------	--------	----------	-------	----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------

योग . . . 2.978

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

### राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

(1)	(2)
144/4	1.045
143	0.217
	<u>योग . . . 19.431</u>

विदिशा, दिनांक 2 जुलाई 2013

क्र. 1-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

##### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—विदिशा  
(ख) तहसील—शमशाबाद  
(ग) ग्राम—भियांखेड़ी  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—19.431 हेक्टेयर.

ख. नं.	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
201	0.200
219/1क	0.145
219/1ख	0.505
219/1ग	1.246
219/1ङ	0.850
219/1च	0.380
219/2	1.000
217	1.045
216	0.993
215	2.299
214/1	1.155
214/2	1.154
214/2/2	0.295
213	0.408
153/1	0.090
153/2	0.350
145/1	0.336
145/2	0.368
144/1	2.000
144/2	2.000
144/3	1.350

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—संजय सागर बाह मध्यम परियोजना के निर्माण हेतु.  
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष के कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, शमशाबाद के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में जा सकता है.

क्र. 2-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

##### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—विदिशा  
(ख) तहसील—शमशाबाद  
(ग) ग्राम—दुनातर  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.900 हेक्टेयर.

ख. नं.	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
7	0.072
28/1	0.119
62/1	0.019
62/2	0.077
62/3/1	0.077
70/1	0.504
71/1	0.36
3/2	0.672
	<u>योग . . . 1.900</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—संजय सागर बाह मध्यम परियोजना के निर्माण हेतु.  
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष के कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, शमशाबाद के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग, गंजबासौदा के कार्यालय में जा सकता है.

क्र. 3-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—विदिशा  
(ख) तहसील—शमशाबाद  
(ग) ग्राम—रगरू  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.403 हेक्टेयर.

ख. नं.	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
86/1/1	0.030
90	0.120
88/1/3	0.053
88/1/2	0.022
101	0.023
88/4/1	0.270
102	0.280
105	0.381
99	0.035
33/2	0.050
31	0.025
160/16	0.114
योग . . .	1.403

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—संजय सागर बाह मध्यम परियोजना के निर्माण हेतु.  
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष के कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, शमशाबाद के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में जा सकता है.

क्र. 4-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह

घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—विदिशा  
(ख) तहसील—शमशाबाद  
(ग) ग्राम—घाटखेड़ी  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—19.540 हेक्टेयर.

ख. नं.	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
30/3/1	0.278
36/1	2.163
35/1/1	0.160
30/4/1	3.130
35/2/1	0.072
30/5/1	2.292
35/3	1.006
36/2/1	0.560
38/1/1	0.813
38/2/1	0.700
32/1/1	2.800
32/2/1	1.529
33/1	0.700
34/1	2.000
3/2/1	0.707
4/1 क	0.160
4/2	0.060
4/4	0.110
11/1	0.300
योग . . .	19.540

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—संजय सागर बाह मध्यम परियोजना के निर्माण हेतु.  
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष के कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, शमशाबाद के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में जा सकता है.

क्र. 5-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894

(क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—विदिशा

(ख) तहसील—शमशाबाद

(ग) ग्राम—बरोदिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल—30.361 हेक्टेयर.

ख. नं.	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)

77	0.913
----	-------

76/3	1.213
------	-------

80	0.717
----	-------

81/1/1	0.555
--------	-------

81/2/1	0.555
--------	-------

86/1/1	0.800
--------	-------

48	1.166
----	-------

33	1.334
----	-------

31	0.165
----	-------

30/1	1.000
------	-------

30/2	1.000
------	-------

29	1.798
----	-------

28/1	1.070
------	-------

28/2	1.070
------	-------

28/3	1.069
------	-------

27/1	0.488
------	-------

27/2	0.055
------	-------

106/2	0.500
-------	-------

106/1	0.721
-------	-------

106/3	0.651
-------	-------

106/4	0.721
-------	-------

127/2/1	0.290
---------	-------

130/1/1	0.140
---------	-------

130/2	0.181
-------	-------

131/1	0.361
-------	-------

132	2.777
-----	-------

134/210/31	0.765
------------	-------

134/210/30/1	0.064
--------------	-------

134/210/30/2	0.063
--------------	-------

(1)

(2)

134/210/29/1

0.020

134/210/29/2

0.038

134/210/11/1

0.206

134/210/12/1

0.230

134/210/13/1

1.208

134/210/17/1

0.200

2/1

1.000

2/2

0.359

2/3

0.793

2/4

0.955

2/5

1.600

2/6

1.550

योग . . . 30.361

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—संजय सागर बाह मध्यम परियोजना के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष के कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, शमशाबाद के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**एम. बी. ओझा**, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास,  
बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 22 जुलाई 2013

क्र. 1662-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—सिहावल

- (ग) ग्राम—डिहली खास  
(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.64 हेक्टेयर.

**सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की हौदा माईनर की डिहली  
सब माईनर के निर्माण हेतु**

खसरा नं. अर्जित रकबा  
(हेक्टेयर में)

(1) (2)

**(अ) निजी भूमि का विवरण**

155	0.01
156	0.02
157	0.03
153	0.01
158	0.03
159	0.04
247	0.10
250	0.02
268	0.06
269	0.03
288	0.06
290	0.06
298	0.04
297	0.04
296	0.01
295	0.01
292	0.01
294	0.01
293	0.03
योग (अ) . . 0.62	

**(ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण**

249	0.02
योग (ब) . . 0.02	
महायोग (अ+ब) . . 0.64	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल मुख्य नहर क्र. 2 की हौदा माईनर की डिहली सब माईनर के निर्माण में आने वाली ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1664-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

**अनुसूची**

**(1) भूमि का वर्णन—**

- (क) जिला—सीधी  
(ख) तहसील—सिहावल  
(ग) ग्राम—पिपरा  
(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.29 हेक्टेयर.

**सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की हिनौती माईनर के निर्माण हेतु**

खसरा नं. अर्जित रकबा  
(हेक्टेयर में)

(1) (2)

**(अ) निजी भूमि का विवरण**

9/1	0.01
18	0.03
9/2	0.01
9/3	0.01
9/4	0.04
7	0.10
15	0.02
17	0.03
योग (अ) . . 0.25	

**(ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण**

16	0.04
योग (ब) . . 0.04	
महायोग (अ+ब) . . 0.29	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरण नहर क्र. 2 की हिनौती माईनर के निर्माण में आने वाली ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 25 जुलाई 2013

क्र. 1722-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी  
(ख) तहसील—रामपुर नैकिन  
(ग) ग्राम—झाला  
(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.20 हेक्टेयर.

रामपुर वितरक नहर की झाला सब माईनर नहर निर्माण हेतु

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)

### (अ) निजी भूमि का विवरण

424	0.02
423	0.18
योग (अ) . .	0.20

### (ब) म. प्र. शासन की भूमि निरंक

महायोग (अ+ब) . .	0.20
------------------	------

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत रामपुर वितरक नहर झाला सब माईनर नहर निर्माण में आने वाले ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1724-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, एतद्वारा घोषित

किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी  
(ख) तहसील—सिहावल  
(ग) ग्राम—चमारी सोनवर्षा  
(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.33 हेक्टेयर.

सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की हौदा माईनर की डिहुली सब माईनर के निर्माण हेतु.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)

### (अ) निजी भूमि का विवरण

283	0.01
282	0.02
281	0.02
280	0.02
279	0.02
275	0.02
274	0.02
249	0.03
250	0.03
264	0.06
262	0.03
261	0.04
योग (अ) . .	0.32

### (ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण

265	0.01
योग (ब) . .	0.01
महायोग (अ+ब) . .	0.33

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की हौदा माईनर की डिहुली सब माईनर के निर्माण में आने वाली ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1728-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी  
(ख) तहसील—सिहावल  
(ग) ग्राम—पचदो माधव  
(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.34 हेक्टेयर.

सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की हौदा माईनर की डिहुली सब माईनर के निर्माण हेतु.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
(अ) निजी भूमि का विवरण	
6	0.13
7	0.03
43	0.03
44	0.03
45	0.02
46	0.01
48	0.05
योग (अ) . . . 0.30	

#### (ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण

1	0.01
29	0.02
47	0.01
योग (ब) . . . 0.04	
महायोग (अ+ब) . . . 0.34	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की हौदा माईनर की डिहुली सब माईनर के निर्माण में आने वाली ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1730-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी  
(ख) तहसील—सिहावल  
(ग) ग्राम—पचदो पीतर  
(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.17 हेक्टेयर.

सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की हौदा माईनर की डिहुली सब माईनर के निर्माण हेतु.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
(अ) निजी भूमि का विवरण	
3	0.04
12	0.03
23	0.06
22	0.01
19	0.02
20	0.01
योग (अ) . . . 0.17	

#### (ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण निरंक

योग (ब) . . . निरंक
महायोग (अ+ब) . . . 0.17

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की हौदा माईनर की डिहुली सब माईनर के निर्माण में आने वाली ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शिवपुरी, दिनांक 25 जुलाई 2013

प्र. क्र. 03-2012-13-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—शिवपुरी  
(ख) तहसील—पोहरी  
(ग) नगर/ग्राम—कैमा  
(घ) लगभग क्षेत्रफल /निजी भूमि—2.461 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)	धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(1)	(2)	(3)
24	0.060	कार्यपालन यंत्री जल
55	0.090	संसाधन संभाग, श्योपुर.
64	0.180	
65	0.210	
66	0.190	
68	0.200	
71	0.730	
77	0.090	
85	0.163	
90	0.261	
111	0.067	
155	0.040	
262	0.180	
योग . .	<u>2.461</u>	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है—अपर ककेटो बांध परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु.  
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, पोहरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 03-2012-13-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—शिवपुरी  
(ख) तहसील—पोहरी  
(ग) नगर/ग्राम—बूडदा  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.80 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)	धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(1)	(2)	(3)
30	0.16	कार्यपालन यंत्री, जल
31	0.18	संसाधन संभाग, श्योपुर.
63	0.21	
69	0.04	
90	0.14	
104	0.03	
142	0.12	
203	0.07	
229	0.08	
245	0.72	
351	0.40	
435/1	0.15	
456	0.17	
503	0.08	
606	0.08	
638	0.01	
641	0.02	
732	0.01	
834	0.13	
योग . .	<u>2.80</u>	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है—अपर ककेटो बांध परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु.  
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, पोहरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.



शिवपुरी, दिनांक 26 जुलाई 2013				(1)	(2)	(3)
क्र. क्यू-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस				1555/1	0.04	
बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1)				1555/2	0.02	
में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक				1555/3	0.01	
प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम,				1624	0.01	
1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके				1625	0.03	
द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त				1628	0.08	
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—				1629	0.11	
अनुसूची				1643	0.01	
				1644	0.14	
(1) भूमि का वर्णन—अशासकीय भूमि				1645	0.01	
(क) जिला—शिवपुरी				1673	0.04	
(ख) तहसील—नरबर				1674	0.06	
(ग) ग्राम—फतेहपुर				1676	0.05	
(घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल—3.94 हेक्टेयर.				1677	0.02	
खसरा नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)	धारा 6 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी		1756	0.08	
(1)	(2)	(3)		1757	0.04	
				1758	0.03	
				1759	0.03	
				1765	0.05	
1157	0.12	कार्यपालन यंत्री, सिंध		1766	0.07	
1173	0.05	परियोजना दायां तट नहर		1768	0.01	
1174	0.11	संभाग करैरा, जिला		1770	0.09	
1176	0.14	शिवपुरी (म.प्र.).		1775	0.10	
1188	0.12			1777	0.01	
1191	0.25			1778	0.10	
1192	0.03			1974	0.01	
1261	0.11			1977	0.12	
1264	0.23			1979	0.10	
1267	0.21			1980	0.07	
1268	0.06			1992	0.03	
1269	0.14			2054	0.02	
1273	0.21			योग . . . 3.94		
1279	0.13					
1511	0.04					
1514	0.02					
1515	0.01					(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है—सिंध परियोजना की दायां तट नहर की शाखा नहर डी-5 से निकलने वाली फतेहपुर न्यू माइनर के निर्माण हेतु.
1517	0.07					
1521	0.04					(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
1522	0.08					
1551	0.03					
1552/1	0.11					
1554	0.02					
1553	0.02					

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 27 जुलाई 2013

प्र. क्र. 04-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीच दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रायसेन

(ख) तहसील/तालुका—बेगमगंज

(ग) नगर/ग्राम—फतेहपुर, गंभीरिया, शाहपुर हदाईपुर,  
गढोईपुर, खेजड़ा, सुमेर.

(घ) लगभग क्षेत्रफल— . . . . . हेक्टर में.

ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित किये जाने वाला रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)	(4)
फतेहपुर	171/1	0.223	0.061
फतेहपुर	171/2	0.162	
	योग . .	0.385	0.061
फतेहपुर	172/1/1	1.724	
फतेहपुर	172/1/2	1.457	0.566
फतेहपुर	172/2	1.619	
	योग . .	4.800	0.566
फतेहपुर	167/1	1.214	
फतेहपुर	167/2/1	2.270	0.623
फतेहपुर	167/2/2	3.066	
	योग . .	6.550	0.623
फतेहपुर	165/2	1.619	0.226
फतेहपुर	165/1/1	1.345	0.141
फतेहपुर	193/123/2	0.441	0.041
फतेहपुर	123	0.902	0.121
फतेहपुर	124	0.619	0.065
फतेहपुर	120, 121, 122	6.426	0.024

(1)	(2)	(3)	(4)
फतेहपुर	41, 43, 44, 45/2	0.934	
फतेहपुर	41, 43, 44, 45/3	0.692	
	योग . .	1.868	0.065
फतेहपुर	48	0.259	0.065
फतेहपुर	52	0.408	0.065
फतेहपुर	47	0.684	0.020
फतेहपुर	46	2.391	0.097
फतेहपुर	53/1	0.202	
फतेहपुर	53/2	0.423	
	योग . .	0.625	0.089
फतेहपुर	19	1.032	0.170
फतेहपुर	16	1.813	0.057
फतेहपुर	6/1, 7/1	0.500	
	1		
फतेहपुर	6/1, 7/1	0.480	
	2		
फतेहपुर	6/1, 7/1	0.633	
	4		
फतेहपुर	6/1, 7/1	0.500	
	5		
फतेहपुर	6/1, 7/1	0.500	
	6		
फतेहपुर	6/1, 7/1	0.600	
	7		
फतेहपुर	6/1, 7/1	0.633	
	8		
फतेहपुर	6/1, 7/1	0.500	
	9		
	योग . .	4.346	0.057
फतेहपुर	8/3	0.539	0.101
फतेहपुर	8/2/1	0.474	0.101
फतेहपुर	8/1/1/1	0.176	
फतेहपुर	8/1/1/2	0.633	
फतेहपुर	8/1/2	0.809	
फतेहपुर	8/1/3	0.127	
	योग . .	1.745	0.186
फतेहपुर	172/1/1	1.724	
फतेहपुर	172/1/2	1.457	
फतेहपुर	172/2	1.619	
	योग . .	4.800	0.194
फतेहपुर	74	3.290	0.121

(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
गमिरिया	204/2	0.116	0.041	शाहपुर हदाईपुर	125/2	1.052	0.072
गमिरिया	204/1/4	1.761	0.065	शाहपुर हदाईपुर	126	0.684	0.065
गमिरिया	204/1/3	1.761	0.101	शाहपुर हदाईपुर	86/1	2.817	0.194
गमिरिया	204/1/2	1.761	0.101	शाहपुर हदाईपुर	86/2	3.237	0.137
गमिरिया	204/1/1	1.764	0.117	शाहपुर हदाईपुर	89/1/1	1.631	0.113
गमिरिया	203/2/2	0.607	0.129	शाहपुर हदाईपुर	89/1/2	0.101	0.101
गमिरिया	203/2/1	0.607	0.012	शाहपुर हदाईपुर	89/2	1.732	0.161
गमिरिया	202	2.283	0.332	शाहपुर हदाईपुर	90	3.145	0.364
गमिरिया	200	0.962	0.053	शाहपुर हदाईपुर	92	0.603	0.016
गमिरिया	163	8.470	0.586	शाहपुर हदाईपुर	164/90/1	0.971	0.204
गमिरिया	165	4.233	0.279	गढोईपुरा	149/117/1	5.908	0.363
गमिरिया	178/1	0.862		गढोईपुरा	117/1/1	3.642	0.466
गमिरिया	178/2	3.237		गढोईपुरा	59/1	5.641	0.492
	योग . .	3.857	0.423	गढोईपुरा	60	2.181	0.251
गमिरिया	167	4.047	0.516	गढोईपुरा	62	5.172	0.253
	168/241/167/4			गढोईपुरा	32	3.456	0.264
गमिरिया	167	4.047	0.345	गढोईपुरा	58	2.606	0.315
	168/241/167/3			गढोईपुरा	124/1	5.115	0.287
गमिरिया	167	4.047	0.365	गढोईपुरा	124/2	2.833	0.049
	168/241/167/2			गढोईपुरा	123/2	0.547	0.045
गमिरिया	167	4.164	0.101	गढोईपुरा	125/2	2.270	0.323
	168/241/167/3			गढोईपुरा	123/2	0.607	0.045
शाहपुर हदाईपुर	61/1/1	1.428	0.428	गढोईपुरा	122/1	3.035	0.073
शाहपुर हदाईपुर	61/1/2	0.809	0.129	गढोईपुरा	122/2	0.951	0.129
शाहपुर हदाईपुर	61/2	2.084	0.287	गढोईपुरा	135/1	3.039	
शाहपुर हदाईपुर	76	1.469	0.036		135/2	3.039	
शाहपुर हदाईपुर	63	1.797	0.298		योग . .	6.078	0.548
शाहपुर हदाईपुर	64/1/1/2	0.809	0.178	गढोईपुरा	134	1.987	0.089
शाहपुर हदाईपुर	64/2	3.253	0.178	गढोईपुरा	133	2.217	0.024
शाहपुर हदाईपुर	68	5.163	0.273	गढोईपुरा	138	1.202	0.153
शाहपुर हदाईपुर	67	0.526	0.061	खेजडा	67, 68, 69,	3.120	0.550
शाहपुर हदाईपुर	75/1	2.184	0.193		70, 71		
शाहपुर हदाईपुर	77/2	2.804	0.202	खेजडा	20, 21	2.615	0.040
शाहपुर हदाईपुर	78/1	2.229	0.154	खेजडा	16/3/1/2	1.214	0.080
शाहपुर हदाईपुर	77/1/1	1.214	0.089		16/3/1/3/1/1/1	0.950	0.250
शाहपुर हदाईपुर	86/1	2.817	0.319		योग . .	2.164	0.330
शाहपुर हदाईपुर	85/1	2.080	0.161				
शाहपुर हदाईपुर	85/2/1	1.691	0.121	खेजडा	16/3/1/3/1/2	0.242	0.133
शाहपुर हदाईपुर	97/1	3.362	0.113	खेजडा	12/1	1.752	0.161
शाहपुर हदाईपुर	97/2	0.922	0.049	खेजडा	12/2	1.619	0.323
शाहपुर हदाईपुर	98/1	1.939	0.109	खेजडा	10/1/1	0.202	0.089
शाहपुर हदाईपुर	98/2	1.760	0.121	खेजडा	10/1/2	0.425	0.242
शाहपुर हदाईपुर	118/1	2.537	0.307	खेजडा	10/2	0.373	0.012
शाहपुर हदाईपुर	117	1.631	0.206				

(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
खेजडा	2	0.902	0.283	फतेहपुर	84/1	1.162	0.283
खेजडा	66/1	1.834	0.145	फतेहपुर	81/1	1.015	0.024
खेजडा	66/2	4.950	0.259	फतेहपुर	81/2	0.089	0.024
खेजडा	74/2	1.011	0.089	फतेहपुर	86	0.392	0.109
खेजडा	74/1	3.776	0.214	फतेहपुर	41, 43, 44,	0.073	
खेजडा	75/1	2.571	0.186		45/1/1		
खेजडा	75/2	1.011	0.012	फतेहपुर	41, 43,44,	0.169	
खेजडा	77/1	3.792	0.161		45/1/2		
खेजडा	77/2	3.788	0.004	सुमेर	243	1.327	0.179
खेजडा	78/1	0.934	0.040	सुमेर	242/3/1	1.619	
खेजडा	78/2	1.011	0.121	सुमेर	242/3/2/1	0.514	
खेजडा	79/3	1.699	0.153	सुमेर	242/3/2/2	0.482	
खेजडा	79/1/2	0.530	0.072		योग . .	2.615	0.182
खेजडा	79/1/3	0.530	0.076				
खेजडा	79/1/4	0.493	0.064	सुमेर	241/3/1/1	2.023	
खेजडा	80, 81, 82/4	0.040	0.024		241/3/2/1		
खेजडा	86/1	0.983	0.356	सुमेर	241/3/1/1	3.715	
खेजडा	89/2	0.276	0.048		241/3/2		
खेजडा	89/1	0.275	0.040	सुमेर	241/3/1/1	3.645	
खेजडा	28	2.812	0.206		241/3/2		
खेजडा	43/1/2	6.370	0.202	सुमेर	241/3/1/2	1.619	
खेजडा	43/2	5.066	0.339		योग . .	11.002	0.934
खेजडा	42/2	4.168	0.089				
सुमेर	245	2.286	0.446	सुमेर	240	1.991	0.238
	178, 191/120			सुमेर	226/3	1.619	0.251
फतेहपुर	119	1.890	0.222	सुमेर	238/1	1.124	0.178
फतेहपुर	113/2	0.207	0.065	सुमेर	238/2	1.531	0.323
फतेहपुर	112	0.914	0.041	सुमेर	239/1	2.529	
फतेहपुर	73/1	5.735		सुमेर	239/2/1	1.462	
फतेहपुर	73/2	0.287		सुमेर	239/2/2	1.463	
	योग . .	6.022	0.421		योग . .	5.454	0.487
फतेहपुर	74	3.290	0.170	सुमेर	237	3.986	0.331
फतेहपुर	76	1.283	0.218	सुमेर	236	0.910	0.121
फतेहपुर	75/1/1	2.246		सुमेर	235/1/1	0.809	
फतेहपुर	75/1/2	0.405		सुमेर	235/1/2/1	0.627	
	योग . .	2.651	0.160	सुमेर	235/1/2/2	0.405	
फतेहपुर	64/1	1.234		सुमेर	235/2/1	1.619	
फतेहपुर	64/2, 65/1	0.752		सुमेर	235/2/2	0.222	
फतेहपुर	64/2, 65/2	1.186			योग . .	3.682	0.343
	योग . .	3.172	0.142				
फतेहपुर	68/1	1.214		सुमेर	234/260/1/1	0.142	
फतेहपुर	68/2	0.637		सुमेर	234/260/2/1/1/1	1.571	
	योग . .	1.851	0.065	सुमेर	234/260/1/2	0.142	

(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
सुमेर	234/260/2/1/1/2	0.871		सुमेर	390/1	0.450	
सुमेर	234/260/2/1/2	0.142		सुमेर	390/2	1.133	
सुमेर	234/260/2/2	0.604		सुमेर	390/3/1	0.672	
	योग . .	4.201	0.454	सुमेर	390/3/2	0.922	
सुमेर	266/3/1	1.517			योग . .	3.177	0.255
सुमेर	266/3/2	0.607		सुमेर	392	1.562	0.121
	योग . .	4.201	0.454	सुमेर	393	3.719	0.251
सुमेर	266/3/1	1.517		सुमेर	374	4.998	0.273
सुमेर	266/3/2	0.607		सुमेर	373	0.979	0.020
	योग . .	2.124	0.146	सुमेर	372/1	3.461	0.125
सुमेर	263	2.157	0.259	सुमेर	375	1.036	0.202
सुमेर	264	3.946	0.335	सुमेर	369	1.206	0.121
सुमेर	310/312/2/1	0.281		सुमेर	368	1.639	0.202
	310/312/2/2	0.405			योग . .	3.881	0.525
	योग . .	0.686	0.146	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सेमरी नहर निर्माण हेतु.			
सुमेर	309/2	0.259	0.097	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, बेगमगंज में देखा जा सकता है.			
सुमेर	301	0.308	0.101	प्र. क्र. 07-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीच दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—			
सुमेर	404/319/1	0.057	0.057	अनुसूची			
सुमेर	106/1/1	1.303	0.527	(1) भूमि का वर्णन—			
सुमेर	319	0.429	0.041	(क) जिला—रायसेन			
	योग . .	1.732	0.568	(ख) तहसील/तालुका—बेगमगंज			
सुमेर	105	1.542	0.210	(ग) नगर/ग्राम—नैनविलास, पिपलिया बरई, सलैया, हप्पिली, कोलुआ, मढिया निवारी, छोला.			
सुमेर	103/1	3.237	0.020	(घ) लगभग क्षेत्रफल— . . . . . हेक्टर में.			
सुमेर	103/2	2.741	0.287	खसरा कुल रकबा अर्जित किये जाने			
	योग . .	5.978	0.307	नम्बर (हेक्टर में) वाला रकबा (हेक्टर में)			
सुमेर	319	0.429	0.041	(1) (2) (3)			
सुमेर	84/3/1	0.048		ग्राम—पिपलिया बरई			
सुमेर	84/3/2	1.387		329/2 2.408 0.324			
	योग . .	1.435	0.429				
सुमेर	52/3	0.138	0.049				
सुमेर	53/3	0.506	0.016				
सुमेर	51/3/1	1.194					
सुमेर	51/3/2	0.971					
	योग . .	2.165	0.437				
सुमेर	50/3/1/1	1.529					
सुमेर	50/3/2	1.562					
	योग . .	3.091	0.243				
सुमेर	48/3/1	0.209	0.097				
सुमेर	249	1.036	0.024				
सुमेर	250	0.340	0.065				

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
328/1/1	0.660		126	1.141	0.113
328/1/2	0.170		127/1	0.073	
329/4	2.602	0.255	127/2	0.077	0.073
336	6.074	0.478	134	5.030	0.117
338	0.190	0.032	118	0.105	0.015
337	2.562	0.121	119/1/1	1.133	
340	0.429	0.036	119/1/2	0.526	
347/1	1.135	0.036	119/2/1	1.651	0.414
347/2	0.277		119/2/2	1.417	
346	0.668	0.073	119/3	0.813	
344/1/1	1.619		56/1	2.640	0.587
344/1/2	0.222	0.316	56/2	2.647	
344/2/1	1.756		54, 55/1	1.618	0.069
344/2	0.097		54, 55/2	2.214	
306/1	0.081	0.045	49	0.170	0.081
306/2	0.081		50	0.575	0.004
307	0.109	0.049	36/1	0.817	0.356
305	0.372	0.049	36/2	2.263	
304/1/1	0.563		37/1	0.226	
304/1/2	0.345	0.134	37/2	0.227	0.138
304/2	0.202		37/3	0.227	
310	1.193	0.227	37/4	0.226	
311/1	0.303	0.190	39	1.846	0.231
311/2	0.303		33/1/1	0.749	
185, 186	0.841	0.134	33/1/2	0.748	0.364
187, 188	1.574	0.085	33/2	0.968	
190/1	0.742	0.241	25/1	1.214	
190/2	0.746		25/2	0.809	
201-202	0.202	0.065	25/2/2	2.142	0.558
205	0.049	0.024	25/3/1	0.405	
206/1	0.032	0.012	25/3/2	0.466	
206/2	0.057		26/1	1.214	0.368
204	0.364	0.041	26/2	0.380	
210	0.081	0.032	48	2.027	0.202
209	0.866	0.020	47/1	1.052	0.214
212	0.198	0.065	47/2	1.714	
213	0.324	0.097	59/1	0.255	
129	0.081	0.069	59/2	0.089	0.081
128	0.036	0.020	59/3	0.518	
130, 133/1	0.833		59/4	0.361	
130, 133/2/1	0.417	0.239	60/1	0.534	0.032
130, 133/2/2	0.417		60/2	0.619	

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
61/1	0.223		157/2/1	0.405	0.146
61/2	0.716	0.162	157/2/2	0.405	0.113
61/3	0.174		157/2/3	0.213	0.081
66/1/1	0.320		52/3	1.517	0.299
66/1/2	0.320	0.073	104/1	9.267	
66/2/1	0.109		105		
66/2/2	0.464		106		0.647
65	0.454	0.009	107		
44/1/1	1.382		104/2	0.040	
44/1/2	0.405		89	2.602	0.186
44/2/1	0.878	0.380	86	3.241	0.162
44/2/2/1	0.390		88	1.092	0.137
44/2/2/2	0.526		87	0.644	0.105
			52/2	1.517	0.129
	<b>ग्राम—सलैया</b>		52/1	1.913	0.194
178	3.064	0.483	30	1.740	0.267
176	0.097	0.028	35	3.213	0.324
175/1	0.914	0.423	19/1	1.113	0.009
175/2	1.069		29	1.728	0.194
168/1	1.635	0.438	19/2	2.335	0.174
168/2	1.635		16/1	0.753	0.129
			15	0.652	0.121
	<b>ग्राम—नैनविलास</b>		13/2	2.059	0.024
269	2.869	0.275	14	0.332	0.073
270	2.983	0.825	8	0.922	0.065
271	2.068	0.316	9	0.619	0.016
275/1/1	0.346		4	3.917	0.421
275/1/2	0.346	0.129	3	2.213	0.178
275/2/2	0.561		235	1.477	0.097
275/2/1	0.130		239	0.890	0.287
273/1/1	0.607		238	1.267	0.279
273/1/2/1	0.809				
273/1/2/2	0.809	0.405			
273/2/1	0.405				
273/2/2	0.312		175/2/1	0.405	
273/3	0.717		175/2/3	1.064	0.202
155/1	0.121	0.073	175/2/2	1.064	
155/2	0.134		162/1	1.250	0.097
156/1	0.291	0.227	194/163	0.397	0.049
156/2	0.279		162/2	4.185	0.381
157/1/1	0.882	0.332	161/1	8.576	0.454
157/1/2	0.141		161/2/1	4.047	0.190
			160	3.407	0.377
				<b>ग्राम—छोला</b>	

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
158/1	0.736	0.218	124/1	1.173	0.041
158/2	0.741		119/2/2	1.438	0.077
105/3	2.047	0.162	124/2	0.353	0.028
105/2	2.023	0.016			
109/2	3.828	0.324			
109/1	3.832	0.235			
57/2	2.428	0.202	277/2	0.809	0.154
57/1	0.971	0.061	277/1	2.691	0.081
56/2/2/2	0.821	0.142	275	0.259	0.125
56/2/2/1	0.809	0.142	423/272	3.137	0.401
56/1	2.027	0.121	271/1/1/1	1.995	0.110
45	4.375	0.226	271/1/1/2	0.405	0.145
25, 26, 27/1/3/1	0.275	0.041	203	2.318	0.263
25, 26, 27/1/3/2	0.946	0.324	200	0.243	0.049
25, 26, 27/1/2	1.651	0.393	199	5.808	0.202
25, 26, 27/2/1	0.914	0.121	101, 102/3	1.169	
15/4	1.412	0.113	101, 102/2	1.619	0.243
24	3.261	0.101	101, 102/4	1.822	
15/3	2.025	0.150	101, 102/1	1.259	
19, 20, 179/18/1	1.954		103/2/1	0.801	0.057
19, 20, 179/18/2	1.950	0.275	103/2/2	0.801	0.121
19, 20, 179/18/3	1.950		103/1/1	0.384	0.097
21/1	0.218	0.049	98/3	0.235	0.036
21/2/1	0.567	0.024	96/3	1.619	0.085
21/2/2	1.355		97/1	1.416	0.032
201/18	1.214	0.162	96/2	1.242	0.149
18/1	0.728	0.045	96/1	1.133	0.133
44/2	2.262	0.202	95	0.591	0.137
44/1	2.100	0.194	94/1	0.632	0.041
29	3.161	0.158	264	3.500	0.227
30	1.218	0.162	263/1	2.144	0.277
159/1	0.821	0.162	262	2.493	0.299
159/2	0.818		244	1.995	0.117
156/1/1	0.922		242/3	1.659	0.275
156/1/2	0.919	0.045	246	1.408	0.049
156/2	1.841		242/2	1.602	0.093
157/1/1	1.181	0.275	242/1	0.765	0.004
157/1/2	1.178		239/3	0.283	0.004
128/2/1	1.134	0.255	239/2	0.465	0.036
128/1	0.607	0.146	237/2	0.655	0.057
126	0.433	0.012	237/1	1.684	0.113
125	0.709	0.065	238	0.567	0.049
123/1	1.140	0.085	233	4.346	0.129
123/2	0.353	0.057	251	0.146	0.032

## ग्राम—मढ़िया निवारी





(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
670/1	4.876	0.188	740	0.607	0.125
670/2/1	4.082		741	0.219	0.009
670/2/2	0.794		751	1.420	0.028
666/1/1	2.096	0.247	752-753/2	2.499	0.319
666/1/2	2.100		752-753/1/1	1.303	
666/2	4.202		752-753/1/2	1.198	
667	0.494	0.073	754	1.161	0.049
668	0.943	0.097	755	1.449	0.012
664	0.142	0.009	695/1/1	1.055	0.121
665	2.914	0.161	695/1/2/1	0.405	
530/2	0.417	0.073	695/1/2/2	0.121	
530/1	1.015	0.097	695/2/1	0.668	
517/1	1.116	0.215	695/2/2/1	0.405	
517/2	1.121		695/2/2/2	0.262	
517/3	0.380		694/1	0.425	0.073
517/4	0.121		694/2	0.421	
503	1.015	0.041	694/3	0.426	
502	0.117	0.020	791/693	0.575	0.081
504	1.639	0.119	691	0.461	0.057
514	0.210	0.004	257	1.995	0.323
457	0.344	0.045	268/1	0.243	0.092
455	0.324	0.105	269	0.943	0.157
456	0.283	0.012	271	0.194	0.049
454	0.368	0.028	771/107/1	0.618	0.201
453/1	0.567	0.024	771/107/2	0.405	
453/2	0.020		771/107/3	0.069	
444	0.308	0.036	107/1/2	0.190	0.179
445/1	0.109	0.038	107/1/1	0.809	0.065
445/2	0.020		107/2	0.405	0.090
443	4.083	0.401	110	1.115	0.036
438/1/1	1.732	0.283	106/3	0.338	0.053
438/1/2/1	0.761		106/2	0.337	0.053
438/1/2/2	0.971		106/1	0.405	0.085
438/2	1.137		103	0.186	0.069
728/1	0.073	0.093	102	0.134	0.069
728/2	0.405		101	1.878	0.012
726/1	0.224	0.077	95/1/1	3.310	0.401
726/2	0.224		95/1/2	3.310	0.214
727	0.105	0.077	95/2	1.550	0.161
731/1/1	0.680	0.137	7/2	0.434	0.105
731/1/2	2.290		6/1/2	0.284	0.141
731/2/1	2.023		6/1/3	0.121	
731/2/2	0.474		6/2	0.627	
737/1	2.105	0.057	6/1/1		
737/2	0.809	0.012			
738	0.902	0.198			

(1)	(2)	(3)
273/1	1.123	0.105
273/2	1.116	0.137
274/2	0.709	0.057
275	1.056	0.129
83/1	1.214	0.041
81/1	0.449	0.097
81/2	0.449	0.105
770/78	0.364	0.222
78	0.971	0.125
76	1.003	0.024
77	0.676	0.113
74-75	4.128	0.470
26/1/1	0.809	0.315
26/1/2	2.429	
26/2	0.275	
27	1.509	0.097
28	0.979	0.012
29/2	1.987	0.287

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—सेमरी नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, बेगमगंज में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 29 जुलाई 2013

प्र. क्र. 17-अ-82-12-13-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर  
(ख) तहसील—चीनौर

(ग) ग्राम—करहिया-III

(घ) कुल लगभग—0.124 हेक्टेयर.

सर्वे क्रमांक	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
1845	0.124

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर के निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 18-अ-82-12-13-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर  
(ख) तहसील—भितरवार  
(ग) ग्राम—बाजना  
(घ) कुल लगभग—0.289 हेक्टेयर.

सर्वे क्रमांक	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
763	0.080
731	0.209
	योग . . 0.289

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर के निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अनुसूची

उज्जैन, दिनांक 27 जुलाई 2013

प्र. क्र.- अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखनीय सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन

- (क) जिला—उज्जैन  
(ख) तहसील—बड़नगर  
(ग) ग्राम—पिटलावदिया  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.22 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
646	0.07
647/1/1	0.07
647/1/2	0.06
647/2	0.01
648	0.01
योग . .	<u>0.22</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बड़नगर-सुन्दराबाद-खरसौंदकला-उन्हेल मार्ग निर्माण में ग्राम पटलावदिया में निजी भूमि अधिग्रहण.  
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, बड़नगर में देखा जा सकता है.

उज्जैन, दिनांक 30 जुलाई 2013

क्र.- भूमि संपादन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

(1) भूमि का वर्णन

- (क) जिला—उज्जैन  
(ख) तहसील—उज्जैन  
(ग) ग्राम—गोयलाखुर्द  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.332 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
28/1/1/1/1	0.104
28/1/1/2/2	
28/1/1/2/3मी.	0.010
28/1/1/2/4	
28/1/1/2/5	0.007
28/1/1/2/6	0.006
28/1/1/2/7	0.006
28/1/1/2/8	0.006
28/1/1/2/9	0.007
28/1/1/2/10	0.006
28/1/1/2/11	0.013
28/1/1/2/12	0.013
28/1/2/1	0.013
28/1/2/2	0.006
28/1/2/3	0.006
28/1/2/4	0.006
28/1/2/5	0.009
28/1/2/6	0.009
28/1/2/7	0.009
28/1/2/8	0.009
28/1/2/9	0.009
28/1/2/10	0.009
28/1/3	0.018
28/1/8	0.018
39 मी.	0.010
42/5 मी.	0.028
42/5 मी.	0.024
45/1/7	0.030
45/2/7	0.014
45/1 मी.	0.025
55	0.008
36/4/1	0.029
36/4/2	0.029
36/2 मी.	0.018

(1)	(2)
36/2 मी.	0.018
36/3 मी.	0.070
36/3 मी.	0.007
36/3 मी.	0.007
43/1	0.008
44/2/1	0.030
80/5/1	0.029
80/5/2 मी.	0.005
80/5/2 मी.	0.010
80/5/3	0.015
75/1 मी.	0.103
74/1 मी.	0.007
72/1 मी.	0.097
74/1 मी.	0.006
74/1 मी.	0.006
60/2 मी.	0.010
74/1 मी.	0.024
74/1 मी.	0.010
69/1 मी.	0.019
69/1 मी.	0.019
69/1 मी.	0.029
69/1 मी.	0.008
69/1 मी.	0.026
69/1 मी.	0.011
69/1 मी.	0.008
69/1 मी.	0.019
45/2 मी.	0.025
45/2 मी.	0.025
30	0.019
45/2 मी.	0.025
74/1 मी.	0.018
38 मी.	0.105
42/4 मी.	
योग . .	<u>1.332</u>

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 31 जुलाई 2013

क्र. 7283-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—अमरवाड़ा

(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-खामी, प.ह.नं. 57/44, ब.नं. 46,  
रा.नि.मंडल-अमरवाड़ा-1

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 0.615 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
200/1, 200/3, 459/2	0.045
200/9	0.081
200/8	0.057
535/3, 535/8	0.077
483	0.060
484	0.015
482/2, 514/2	0.138
492/2, 493/2, 494/2	0.057
525, 526/1, 528/2	0.085
योग . .	<u>0.615</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—इन्दौर-उज्जैन, फोरलेन मार्ग पर महामृत्युंजय द्वार से त्रिवेणी पुल तक सर्विस मार्ग निर्माण हेतु अशासकीय भूमि अधिग्रहण बावत्.
- (3) भूमि अर्जन का नक्शा (प्लान) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, उज्जैन के न्यायालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

**बी. एम. शर्मा**, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—खामी बड़ेला जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.	(1) 139 135/8 132/2 210/7	(2) 0.063 0.133 0.105 0.117
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग अमरवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.	214/3, 288/2, 289/2 217/1, 218/1 223/6	0.028 0.070 0.045
		योग . . . 0.683

क्र. 7284-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

#### अनुसूची

##### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा  
(ख) तहसील—अमरवाड़ा  
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-बड़ेला, प.ह.नं. 61/44, ब.नं. 168, रा.नि.मंडल-अमरवाड़ा-1  
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 0.683 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
109/3	0.060
111/2	0.062

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—खामी बड़ेला जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.  
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.  
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.  
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
महेशचन्द्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 31 जुलाई 2013

क्र. 6885-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन (बॉकपुरा तालाब परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित आबादी में रहवासी भवनों/मकानों का पुनर्वास हेतु) के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

#### अनुसूची

##### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—राजगढ़  
(ख) तहसील—ब्यावरा

(ग) ग्राम—कालाकोट, चन्देरी, सारस्याबे एवं कानड़ियाखेड़ी,

(घ) क्षेत्रफल—1.737 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर (1)	रकबा (2)	मकान नम्बर (3)	मकान मालिक का नाम (4)	क्षेत्रफल वर्ग (मीटर में) (5)
<b>ग्राम कालाकोट, क्षेत्रफल 0.373</b>				
12/4	0.120	18	प्राथमिक शाला भवन शासकीय	61.67
		19	प्राथमिक शाला भवन शासकीय	22.60
		20	मध्यान्ह भोजन कक्ष शासकीय	16.75
		1	लक्ष्मीनारायण पिता रामलाल जाति सौंधिया	52.85
		2	शिवसिंह पिता जगन्नाथ जाति सौंधिया	92.20
		3	केसरसिंह पिता जगन्नाथ जाति सौंधिया	105.17
		4 ए	अनारसिंह पिता दोलजी जाति सौंधिया	35.58
		4 बी	अनारसिंह पिता दोलजी जाति सौंधिया	261.97
		5	फूलसिंह पिता दोलजी जाति सौंधिया	105.15
		6	कनीराम पिता दोलजी जाति सौंधिया	99.94
		7	मोरसिंह पिता फूलसिंह जाति सौंधिया	54.06
		8	रामलाल पिता भीमासिंह जाति सौंधिया	213.20
		9	मांगीलाल पिता रामलाल जाति सौंधिया	105.60
		10	भंवरीबाई पति स्व. श्री गंगाराम जाति सौंधिया.	221.95
		11	बीरसिंह पिता उम्मेदसिंह जाति सौंधिया	150.53
		12	हिन्दुसिंह पिता जगन्नाथ जाति सौंधिया	57.20
		13	नारायणसिंह पिता जगन्नाथ जाति सौंधिया	45.59
		14	अनारसिंह पिता दोलजी जाति सौंधिया	249.29
		15	रोड़जी पिता उम्मेद जी जाति सौंधिया	273.82
		16	कंचनबाई पति श्री बंशीलाल जाति चमार निवासी कानड़ियाखेड़ी.	37.00
		17	श्रीलाल पिता कालू जाति चमार निवासी कानड़ियाखेड़ी	73.08
		21	(धार्मिक स्थान सार्वजनिक) मन्दिर हनुमानजी	11.84
<b>ग्राम चन्देरी, क्षेत्रफल 1.019</b>				
105/3	0.060	1	द्रोपती बाई पति विजयसिंह, मदनलाल, हरिसिंह पिता	157.00
		2	भंवरलाल जाति सौंधिया	28.31
106/3	0.025	9	सार्वजनिक आश्रम	258.00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		6	शासकीय प्राथमिक शाला अतिरिक्त कक्ष	57.00
61	0.923	7	शासकीय प्राथमिक शाला भवन	92.95
		8	शासकीय ऑगनवाडी	66.42
64/1	0.011	3	हरिसिंह पिता रामलाल जाति यादव	37.52
		4	पर्वतसिंह पिता रामलाल जाति यादव	28.31
		5	लक्ष्मीनारायण पिता रामलाल जाति यादव	35.95

**ग्राम सारस्याबे, क्षेत्रफल 0.175**

118	0.175	1	भारतसिंह, धनराज मदनलाल पिता प्यारजी जाति गुर्जर	81.08
		2	धुलजी पिता प्यारजी जाति गुर्जर	42.32
		3	फुलसिंह पिता प्यारजी जाति गुर्जर	47.84

**ग्राम कानड़ियाखेड़ी, क्षेत्रफल 0.170**

		2	धार्मिक स्थान सार्वजनिक	38.44
		3	मांगीलाल पिता हीरालाल जाति सौंधिया	269.01
		4	गजराज पिता हीरालाल जाति सौंधिया	67.44
		5	गुलाबसिंह पिता कुम्हेरसिंह जाति सौंधिया	190.80
		6	प्रेमसिंह पिता कुम्हेरसिंह जाति सौंधिया	129.00
		7	राधेश्याम पिता नारायण सिंह जाति सौंधिया	84.29
120	0.150	8	गजराज पिता हीरालाल जाति सौंधिया	85.36
		9	इंदरसिंह पिता गजराजसिंह जाति सौंधिया	65.00
		10	करणसिंह पिता पृथ्वीसिंह जाति सौंधिया	131.16
		11	बलवंतसिंह पिता अमृतलाल जाति सौंधिया	161.72
		12	धार्मिक स्थान सार्वजनिक	7.75
		13	विजयसिंह पिता हीरालाल जाति सौंधिया	32.29
		14	पर्वतसिंह पिता रूपसिंह जाति सौंधिया	35.31
141/3	0.020	1	जगन्नाथ पिता अमरसिंह जाति सौंधिया अधुरा बना	142.20

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है. बाँकपुरा तालाब परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित आबादी में रहवासी भवनों/मकानों का पुनर्वास हेतु. भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.**



कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

टीकमगढ़, दिनांक 6 अगस्त 2013

क्र.-भू-अर्जन-प्र. क्र.-6-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—टीकमगढ़  
(ख) तहसील—पृथ्वीपुर  
(ग) नगर ग्राम—पहाड़ी बख्शी  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.345 हेक्टर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
12	0.010
529/1	0.325
528	0.010
योग . .	<u>0.345</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—तिकोनाघाट तालाब के स्पिल चैनल निर्माण हेतु.  
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, निवाड़ी एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन-प्र. क्र.-9-अ-82-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये

आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—टीकमगढ़  
(ख) तहसील—पृथ्वीपुर  
(ग) नगर ग्राम—बारहों खुर्द  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.811 हेक्टर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
303/1	0.280
303/2	0.360
304/1	0.100
299	0.100
287	0.100
288	0.085
289	0.028
290	0.113
275	0.202
276	0.020
277	0.053
279	0.300
294	0.010
286	0.040
291	0.020
योग . .	<u>1.811</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—तिकोनाघाट तालाब के स्पिल चैनल निर्माण हेतु.  
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, निवाड़ी एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सुदाम खाडे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.